

पात्रता सारणी

(01 जनवरी 2015 से प्रभावी)

प्रथम अनुसूची

भूमि के लिए मुआवजा और भूमि एवं भवन से संलग्न परिसंपत्तियों का मूल्य

क्रम संख्या	आरएफसीटी-एलएआरआर, 2013 के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई भूमि के संबंध में मुआवजा पैकेज के कम्पोनेन्ट	निर्धारण प्रक्रिया	पात्र श्रेणी	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भूमि का बाजार मूल्य	आरएफसीटी - एलएआरआर, 2013 के सेक्शन 26 के अंतर्गत निर्धारण किया जाना और नोट क एवं ख में वर्णित	क. भूमि मालिक जिनके नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज हैं अथवा आरएफसीटी-एलएआरआर, 2013 के सेक्शन 3 सी (i) के अंतर्गत स्वामित्व, मुआवजा को सत्यापित करने का दावा करते हों।	अ. संरचना के लिए मुआवजा (क) बाजार मूल्य पर परिसंपत्तियों ओर भवन के लिए नकद मुआवजा का निर्धारण नोट डी और आरएफसीटी-एलएआरआर 2013 के सेक्शन 29 के अंतर्गत करना। ऐसे मामलों में जहां क्षेत्र की संरचना 25 : से अधिक प्रभावित होती है और ढांचे का उपयोग करना अछूता रह जाता है, आरएफसीटी-एलएआरआर 2013 के सेक्शन 94 के अंतर्गत पूरा मुआवजा दिया जाएगा।
2.	ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में ऐसे कारण जो कि बाजार मूल्य से गुणक (मल्टीप्लाइड) होते हैं	उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले शहरी क्षेत्र से परियोजना की 1.00 (एक) से 2.00 (दो) की दूरी के आधार पर	ख. कानून के अंतर्गत देय उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा को पंजीकृत पट्टाधारी, किरायेदारों अथवा	(ख) आंशिक प्रभाव के मामले में जहां स्वामी/अधिवासी ढांचे के बचे हुए भाग को अपने पास रोकने में रुचि लेता है तो उसे प्रभावित ढांचे के नुकसान हुए भाग की मरम्मत के लिए 25 % की अतिरिक्त राशि
3.	शहरी क्षेत्रों के मामलों में ऐसे कारण जो कि बाजार मूल्य से गुणक (मल्टीप्लाइड) होते हैं	01 (एक)		
4.	भूमि अथवा संरचना से संबंधित परिसंपत्तियों का मूल्य	आरएफसीटी-एलएआरआर, 2013 के सेक्शन 29 के अंतर्गत निर्धारण किया जाना।		

क्रम संख्या	आरएफसीटी-एलएआरआर, 2013 के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई भूमि के संबंध में मुआवजा पैकेज के कम्पौनेंट	निर्धारण प्रक्रिया	पात्र श्रेणी	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
5.	हर्जाना (सोलेशियम)	उल्लिखित भूमि के 100 % के बराबर तथा विशिष्ट करणों से क्रम सं. 1 के विरुद्ध गुणाक्रम ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शहरी क्षेत्रों के लिए क्रम सं. 3 के विरुद्ध कॉलम 2 के अंतर्गत क्रम सं. 4 के विरुद्ध भवन अथवा संलग्न भूमि परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल है।	बटाईदार (शेयर क्रोपर्स) को विभाजित किया जाएगा। ग. भूमि धारी के मामले में (आबादी भूमि के पट्टेदार, सौंपी गई भूमि, अथवा जनजातियों द्वारा ग्रहण की गई जंगल की भूमि) आरएफसीटी – एलएआरआर 2013 के सेक्शन 3 सी (iii) (v) के अंतर्गत आने वाले राज्य / केन्द्रीय कानून के अंतर्गत मान्यताप्राप्त दावें / अधिकारों के साथ वालों को शीर्षक धारियों के सममूल्य पर हर्जाने के साथ मुआवजा दिया जाएगा।	मुआवजे के रूप में देय है बशर्ते बिना खतरों के इस तरह के ढांचे का अछूता निरन्तर प्रयोग संभव हो। (ग) प्रभावित संरचनाओं से सामग्री निस्तारण सही ढंग से किया जाए। (घ) ढांचों को खाली करने के लिए तीन महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाए।
6	ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम सं. 1 के विरुद्ध गुणाक्रम क्रम सं. 2 के साथ संलग्न परिसंपत्तियों का मूल्य अथवा कॉलम 2 के अंतर्गत क्रम सं. 4 के विरुद्ध उल्लिखित भवन के साथ कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम सं. 5 के विरुद्ध उल्लिखित भूमि हर्जाना बाजार मूल्य का के अनुसार।		ब. भूमि पर आंशिक प्रभाव: किसी भूमि का केवल एक भाग ही प्रभावित होता है और उसका स्वामी चाहता है कि इस कारण वह प्लॉट भूमि अधिग्रहण (आरएफसीटी-एलएआरआर 2013 और नोट सी)के कारण अलाभकर हो गया है तो सक्षम प्राधिकारी बचे हुए प्लॉट के लिए मुआवजा दे सकता है अथवा बचे हुए भूमि के वास्तविक मूल्य का 25 % अतिरिक्त मुआवजे को देने की अनुमति दे सकता है यदि भूमि खोने वाले (लूजर) इसके लिए सहमत हो।
7	शहरी क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम सं. 1 के विरुद्ध गुणाक्रम क्रम सं. 3 के साथ संलग्न परिसंपत्तियों का मूल्य अथवा कॉलम 2 के अंतर्गत क्रम सं. 4 के विरुद्ध उल्लिखित भवन के साथ कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम सं. 5 के विरुद्ध उल्लिखित भूमि हर्जाना बाजार मूल्य का के अनुसार।		स. पेड़ों/फसलों आदि के लिए मुआवजा क. आरएफसीटी-एलएआरआर 2013 के सेक्शन 29 (3) के अंतर्गत आकलित नकद मुआवजा द्वारा: i. इमारती (टिम्बर) पेड़ों के लिए वन विभाग ii. फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग iii. बगवानी, बारहमासी पेड़ों के लिए बागवानी विभाग iv. बाजार मूल्य पर वर्ष भर रहने वाले ओर पेड़ों, फसलों का नुकसान के लिए अनौपचारिक सेटेलर्स/स्क्वेटर्स सहित शीर्षकधारी और गैर-शीर्षकधारियों को नकद सहायता। ख. प्रभावित पार्टियों को फलों, फसलों काटने/तैयारी के लिए तीन महीने का अग्रिम नोटिस देना।

क्रम संख्या	आरएफसीटी-एलएआरआर, 2013 के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई भूमि के संबंध में मुआवजा पैकेज के कम्पोनेन्ट	निर्धारण प्रक्रिया	पात्र श्रेणी	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
				<p>यदि फसलें खड़ी हैं, तो प्रभावित पार्टियां फसलों को नुकसान से बचाने के लिए तीन महीने का अग्रिम नोटिस अथवा उसके स्थान पर मुआवजा उपरोक्तानुसार निर्धारित</p> <p>घ. मुआवजा पैकेज विकल्प।</p> <p>जहां राज्य सरकार किसी अधिनियम या गजट अधिसूचना अथवा राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित (इस उद्देश्य के लिए अधिकृत) भूमि के मुआवजे के लिए अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार दर को निर्धारित करती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध पैकेज के स्थान पर भूमि के मुआवजे का निर्धारण के समय इसे अपनाया जाए।</p>
8	अन्य कम्पोनेन्ट यदि कोई हों जिन्हें शामिल किया जाना है	प्रभावित परिवारों को निर्धारित मुआवजे पर 12 % वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अथवा आरएफसीटी – एलएआरआर 2013 के सेक्शन 30 (3) और नोट ए (6) में वर्णित जोकि आरएए 2008 के सेक्शन 20ए की अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।		

द्वितीय अनुसूची

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

क्रम संख्या	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पात्रता के मूल तत्व (सिद्धांत)	पात्र श्रेणी	पात्रता	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	विस्थापन के मामले में आवासीय इकाइयों का प्रावधान	<p>क. सभी प्रभावित परिवारों जिन्हें आरएफसीटी-एलएआरआर के सेक्शन 3 सी के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, को परियोजना के कारण उन्हें रिलोकेट करना अपेक्षित है तथा जिनकी भूमि को अधिग्रहीत की गई है जिसमें भूमि मालिक, प्रथागत रहने वाले और कब्जाधारी शामिल हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर उस प्रभावित भूमि पर आश्रित हैं।</p> <p>ख. यह लाभ उन प्रभावित परिवारों को भी दिया जाएगा जो कि बिना रियासत भूमि के और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से कम से कम तीन वर्ष से निरन्तर निवास कर रहे हैं और जिन्हें इस क्षेत्र से आरएफसीटी - एलएआरआर 2013 की द्वितीय अनुसूची के सेक्शन 1 (2) के अंतर्गत अनायास ही विस्थापित किया गया है।</p>	<p>क. ग्रामीण क्षेत्र: इंदिरा आवास योजना की विशिष्टियों के अनुसार एक निर्मित मकान अथवा इसके स्थान पर नकद सहायता जैसी कि संबंधित राज्य सरकार ने अपनी पुनर्वास नीति अथवा नियम के अनुसार निर्धारित की हो, इस प्रकार की नकद सहायता रु. 60,000 से कम नहीं हो।</p> <p>ख. शहरी क्षेत्र: कम से कम 50 स्कावायर मीटर का कुर्सी क्षेत्र में एक निर्मित मकान अथवा इसके स्थान पर नकद सहायता जो कि राज्य सरकार द्वारा अपनी पुनर्वास नीति अथवा नियमों में निर्धारित की हो, इस प्रकार की सहायता रु 1,50,000 से कम नहीं हो।</p>	<p>क. यह नकद सहायता वैकल्पिक मकान के प्रावधान के स्थान पर सभी विस्थापित परिवारों को बिना किसी भेदभाव के रियायसी मालिकों, कब्जाधारी भूमि समानुदेशिती, दीर्घकालीन पट्टाधारी सहित को दी जाएगी।</p> <p>ख. यह सहायता आवासीय और वाणिज्यिक मालिकों के प्रयोजनों को पूरा करने के साथ साथ शीर्षक रहित कोटियों के मिश्रित उपयोग संरचनाओं के लिए बढ़ाई जाएगी।</p> <p>ग. विस्थापित उपवेशी जिन्होंने अपनी संरचनाओं की हानि हुई है, कालम-5 के अनुसार एक वैकल्पिक मकान अथवा नकद सहायता अथवा प्रथम अनुसूची के पैरा डी कालम-4 के अनुसार संरचना के लिए मुआवजा में जो भी उच्च हो, के पात्र होंगे।</p>
2.	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना के मामलों में, जहां तक संभव हो भूमि अधिग्रहीत		परियोजना के रेखीय प्रकृति होने के कारण डीएफसीसीआईएल रेल कोरीडोर

क्रम संख्या	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पात्रता के मूल तत्व (सिद्धांत)	पात्र श्रेणी	पात्रता	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
		<p>के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाए, प्रत्येक प्रभावित परिवार के प्रभावित क्षेत्र में अपनी कृषि भूमि हो और जिसे अधिग्रहीत अथवा गंवाया हो अथवा उसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण अथवा भूमि की हानि को छोटे किसानों अथवा भूमिहीन किसानों को जिनके नाम रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रभावित परिवार जिनकी परियोजना के कमान्ड क्षेत्र में एक एकड़ भूमि हो अधिग्रहीत किया गया है, को आवंटित किया जाएगा।</p> <p>बशर्ते कि हर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों को भूमि खोने के लिए अधिग्रहीत भूमि के समकक्ष अथवा दो और एक-आधा एकड़ भूमि जो भी कम हो (आरएफसीटी – एलएआरआर, 2013 की मद सं. 2, अनुसूची, 2)के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।</p>		परियोजनाओं पर यह प्रावधान लागू नहीं है।
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्ताव	शहरीकरण के लिए अधिग्रहीत भूमि के मामले में 20 % विकसित भूमि को सुरक्षित रखा जाएगा और उनकी अधिग्रहीत की गई भूमि में अनुपात में परियोजना प्रभावित परिवारों को अधिग्रहण के मूल्य का बराबर मूल्य और विकास के मूल्य देने की पेशकश की जाए।		यह प्रावधान डीएफसीसीआईएल रेल कोरीडोर पर लागू नहीं है। यद्यपि भविष्य में प्रावधान लागू हो सकते हैं यदि डीएफसीसीआईएल द्वारा भूमि विकास परियोजनाओं में शामिल किया जाता है तो।

क्रम संख्या	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पात्रता के मूल तत्व (सिद्धांत)	पात्र श्रेणी	पात्रता	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
		बशर्ते कि परियोजना प्रभावित मामले में भूमि मालिक इस पेशकश को स्वीकार करने की इच्छा रखते हों, उन्हें देय भूमि अधिग्रहण मुआवजा पैकेज से समकक्ष राशि की कटौती की जाएगी।		
4.	वार्षिकी अथवा रोजगार के विकल्प	आरएफसीटी-एलएआरआर, 2013 के सेक्शन 3 (सी) में परिभाषित किये गये प्रभावित परिवार	डीएफसीसीआईएल प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवायेगा: क. रोजगार विकल्प जहां परियोजना के माध्यम से रोजगार सृजित होंगे, वहां प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को उचित दर जो कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी की दर के बराबर होगा, से नियमानुसार अपेक्षित क्षेत्र अन्य कानून उस समय में लागू हो, में कौशल विकास और उपयुक्त प्रशिक्षण देने के उपरान्त रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे अथवा अन्य दूसरी परियोजना में अपेक्षित रोजगार के अवसर की व्यवस्था की जाए। अथवा ख. प्रति परिवार को एक मुश्त रु. 5,00,000 का भुगतान। अथवा ग. वार्षिकी नीतियों के अनुसार कृषि श्रमिकों को लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पर्याप्त सूचीकरण के साथ प्रति परिवार को बीस वर्ष के लिए कम से कम	क. अधिग्रहण के समय संबंधित राज्य से वर्तमान कानून / नियमों को बताने के लिए समुचित प्रावधान किया जाएगा। ख. प्रभावित परिवार उपरोक्त के स्थान पर वार्षिकी विकल्प अथवा एक बार वित्तीय सहायता को स्वीकार करेंगे।

क्रम संख्या	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पात्रता के मूल तत्व (सिद्धांत)	पात्र श्रेणी	पात्रता	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
			2000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।	
5.	विस्थापित परिवारों को एक वर्ष लिए निर्वाह अनुदान	प्रत्येक प्रभावित परिवार (रियायती अथवा वाणिज्यिक संरचनाओं को खोने) के विवरण को परियोजना द्वारा आरएफसीटी – एलएआरआर, 2013 के सेक्शन 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।	क. एक वर्ष के लिए रु. 3000/- प्रति माह तक निर्वाह भत्ता। ख. इस राशि के अतिरिक्त, अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रु. 50,000/- प्राप्त करेंगे।	क. प्रभावित परिवार को वर्ष में एक बार देय निर्वाह भत्ता के भुगतान का विकल्प चुनना होगा। ख. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को एक बार के आधार पर अतिरिक्त निर्वाह भत्ता रु. 50,000/- देय होगा। ग. विशिष्ट विस्थापितों को निर्वाह भत्ता दिया जाएगा बशर्ते कि वह वे गरीबी रेखा से नीचे अथवा विना किसी आय प्राप्त करने वाले अथवा यदि उन्होंने अपनी आजीविका विस्थापन के कारण खो दिया है।
6.	विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन लागत	प्रत्येक विस्थापित परिवार मालिक और गैर शीर्षक धारकों को आरएफसीटी-एलएआरआर 2013 के सेक्शन 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।	परिवार को, बिल्डिंग सामग्री, और जानवर को स्थानान्तरित के लिए परिवहन लागत के रूप में रु. 50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता।	क. निवासी मालिक, पट्टाधारी, लम्बी अवधि / सुरक्षित किरायेदार, विशिष्ट लोगों को परिवहन भत्ता दिया जाएगा। ख. सभी विस्थापित परिवारों को खाली करने के लिए तीन महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा।
7.	पशुबाड़ा (कैटल शेड) / छोटी दुकानों की लागत	प्रत्येक प्रभावित परिवार के पास जानवर अथवा छोटी दुकान होनी चाहिए।	पशुबाड़ा अथवा छोटी दुकान जो भी हो के निर्माण के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार की उचित राशि की अधिसूचना जिसमें विषय को दर्शाया गया है, एक बार कम से कम रु. 25,000/- की वित्तीय सहायता दी जाए।	क. छोटी दुकानें जिसमें वाणिज्यिक कियोस्क और झुग्गियां जहां व्यापार को किया जाता है, शामिल होंगी। ख. पशुबाड़ा का अर्थ है कोई स्थायी ढांचा अथवा अस्थाई शेड जिसको जानवरों को रखने के लिए लम्बी अवधि के आधार पर निर्माण किया गया है।

क्रम संख्या	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पात्रता के मूल तत्व (सिद्धांत)	पात्र श्रेणी	पात्रता	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
				ग. द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत कियोस्क और वेंडर्स जो "छोटी दुकान" के अंतर्गत इस नकद सहायता को प्राप्त करेंगे, वह अन्य किसी दूसरी तरह की पुनर्वास सहायता के हकदार नहीं होंगे।
8.	शिल्पी, छोटे व्यापारियों और कुछ अन्य को एक समय के लिए अनुदान	शिल्पी, छोटे व्यापारी अथवा स्वरोजगारी व्यक्ति अथवा गैर-कृषि भूमि मालिक अथवा वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा संस्थागत ढांचे को और भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना प्रभावित क्षेत्र से अनैच्छिक विस्थापित किया गया है।	उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित लेकिन कम से कम रु. 25,000/- की एक समय वित्तीय सहायता की राशि।	क. इस सहायता के लिए शीर्षकधारक अथवा गैर-शीर्षकधारक कोटियों के प्रभावित परिवार पात्र हो सकते हैं जैसा कि आरएफसीटी-एलएआरआर, 2013 के सेक्शन 3 (सी) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ख. इस श्रेणी में आय खोने वाले वास्तविक व्यक्ति लिंग के भेदभाव के बिना वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।
9.	मछली पकड़ने के अधिकार	सिंचाई और हाइड्रिल परियोजनाओं के मामले में, प्रभावित परिवारों को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से जलाशयों पर मछली पकड़ने की अनुमति दी जा सकती है।		डीएफसीसीआईएल परियोजनाओं के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं है।
10.	एक समय पुनर्स्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित परिवार	एक समय पुनर्स्थापन भत्ता रु. 50,000/-	क. इस सहायता के लिए शीर्षकधारी अथवा गैर - शीर्षकधारी श्रेणियों के प्रभावित परिवार पात्र हो सकते हैं जैसा कि आरएफसीटी - एलएआरआर, 2013 के सेक्शन 3 (सी) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ख. यह सहायता महिला मुखिया परिवारों

क्रम संख्या	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पात्रता के मूल तत्व (सिद्धांत)	पात्र श्रेणी	पात्रता	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
				और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी लागू होगी।
11.	स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	प्रत्येक प्रभावित परिवार	वैकल्पिक जायदाद की खरीद के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	मुआवजा प्राप्ति से एक वर्ष के अंदर स्वयं के नाम से और अथवा जीवनसाथी के नाम से संपत्ति और हानि हो रही भूमि के स्थान पर दुकान अथवा आवास, भूमि सहित वैकल्पिक संपत्ति की खरीद।
12.	पुनर्वास स्थलों का प्रावधान	परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों के समूहों को समूह में पुनर्वास स्थलों में स्थानान्तरित करना जो इस उद्देश्य के लिए हो।	आरएफसीटी – एलएआरआर, 2013 की तृतीय अनुसूची में दिए अन्य प्रावधान और मूल सेवाओं को उपलब्ध कराते हुए पुनर्वास स्थलों पर न्यूनतम वर्णित आकार (minimum specified floor area) के साथ उपयुक्त स्थायी घर जहां विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थलों को बनाया गया हो।	क. यह अधिकांश मामलों में लागू नहीं हो सकता है, यद्यपि जहां इस प्रकार के विकल्प प्लान किए जाते हैं, डीएफसीसीआईएल इसे पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) में शामिल कर लागू करेगा। ख. पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) में यह वर्णित होगा कि कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, अनुमति देने के अधिभोग की मूल शर्तें, और बस जाने के उपरान्त वापसी के संकेतक जब लोग यथेष्टतया बस जाएं।
13.	कम्यूनिटी अवसंरचना और कॉमन संपत्ति संसाधनों की हानि	प्रभावित समुदायों और समूहों	सामुदायिक अवसंरचना और आम संपत्ति संसाधनों का पुर्ननिर्माण	समुदाय की सलाह से सामुदायिक अवसंरचना और आम संपत्ति संसाधनों के बदलाव का पुर्ननिर्माण किया जाएगा।
14.	भूमि और संपत्तियों पर अस्थाई प्रभावों का अल्पीकरण	भूमि और परिसंपत्तियों के प्रभावित मालिक	निर्माण के दौरान अस्थाई प्रभाव जैसे सामान्य यातायात का अवरुद्ध होना, भूमि/परिसंपत्तियों का नुकसान जो कि भारी मशीनरी और संयंत्र स्थल के संचालन के कारण होगा, के लिए मुआवजा।	निर्माण के दौरान, निर्माण संयंत्र को स्थापित करने अथवा भारी मशीनरी के संचालन के कारण हुए किसी भी प्रभाव की लागत का मुआवजा ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रस्तावित भूमि की सीमा (आर ओ डब्लू) के बाहर की भूमि के सभी अस्थाई प्रयोग के लिए भूमि मालिक और ठेकेदार के

क्रम संख्या	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पात्रता के मूल तत्व (सिद्धांत)	पात्र श्रेणी	पात्रता	व्याख्यात्मक अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
				मध्य लिखित अनुमोदन होना चाहिए। निर्माण संयंत्र के स्थल का चयन डीएफसीसीआईएल के परामर्श के साथ ठेकेदारों द्वारा की जानी चाहिए।

पात्रता मानदंड के नोट्स

नोट ए

1. मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा एलएआरआर 2013 के सेक्शन 26 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा जो भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण और आंकलन की निम्नलिखित कसौटी को निर्दिष्ट करता है:
 - (क) बाजार मूल्य, यदि कोई हो, जैसा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में निर्दिष्ट है, बिक्री विलेख का रजिस्ट्रेशन अथवा बिक्री करार जो भी मामला हो और जहां भूमि स्थिति है के लिए अथवा
 - (ख) उस भूमि के नजदीकी गाँव या निकटतम आसपास में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत, तीन वर्षों के दौरान हुए विक्रय विलेख से निर्धारित किया जाए जो कि उस दर से 50 % से कम न हो ।

बाजार मूल्य का निर्धारण 20 ए के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि किया जाएगा ।

व्याख्या-1 खंड "ख" में संदर्भित औसत बिक्री मूल्य को विक्रय विलेख के खाते में अथवा निकटवर्ती गांव के क्षेत्र में इसी तरह को विक्रय पंजीकृत करार अथवा तत्काल वर्ष में तीन वर्षों की पूर्ववर्ती के दौरान जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है, निर्धारित किया जाएगा।

व्याख्या-2 व्याख्या 01 में संदर्भित औसत बिक्री मूल्य के निर्धारण के लिए, विक्रय विलेख की कुल संख्या का एक-आधा अथवा विक्रम विलेख करार जिसमें उच्च विक्रय मूल्य का उल्लेख किया गया हो, लिया जाएगा।

व्याख्या-3 इस सेक्शन के अंतर्गत बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय और व्याख्या-1 अथवा व्याख्या-2 में औसत संदर्भित विक्रमय मूल्य अभी हाल ही में जिले में उस प्रावधान के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए किसी मुआवजे का भुगतान किया गया है, पर विचार नहीं किया जाएगा।

व्याख्या-4 इस सेक्शन के अंतर्गत जब बाजार मूल्य का निर्धारण किया जा रहा है और व्याख्या-1 और व्याख्या-2 में संदर्भित और विक्रय मूल्य, कलेक्टर की राय से वास्तविक प्रचलित बाजार मूल्य जो कि सांकेतिक नहीं है, बाजार मूल्य की गणना के लिए रियायती हो सकता है।

- (2) समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित शहरी क्षेत्र से दूरी पर एक अथवा दो पर आधारित कारण द्वारा गुणांक को उपरोक्त (1) के अनुसार बाजार मूल्य पर गणना की जाएगी।
- (3) जहां किसी कारण से उपरोक्त (1) अथवा (2) के कारण बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है जो:-
 - (क) भूमि ऐसे क्षेत्र में है जहां क्षेत्र में कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के अंतर्गत अथवा भूमि का लेनदेन प्रतिबंधित है।
 - (ख) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए एक ही तरह की भूमि उपलब्ध न हो, उपखंड (1) के खंड (क) में उल्लिखित विक्रय करार अथवा पंजीकृत विक्रय विलेख के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लिए एक ही तरह की भूमि उपलब्ध न हो अथवा
 - (ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत बाजार मूल्य का विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो।

संबंधित राज्य सरकार फ्लोर मूल्य अथवा साथ वाले क्षेत्रों में स्थित समान प्रकार की भूमि को ध्यान दिए बिना उप सेक्शन (1) में निर्दिष्ट उस भूमि के मूल्य की गणना के आधार पर कम से कम प्रति यूनिट क्षेत्र में कम से कम मूल्य के लिए निर्दिष्ट करेगी ।

4. एलएआरआर अधिनियम 2013 के सेक्शन 28 के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के अधिनिर्णय के अनुसार मुआवजे की राशि के निर्धारण पर विचार किया जाएगा ।
5. जिनकी सामान्य भूमि/आबादी को 1961 से पूर्व कब्जे में लिया गया है, को कानून द्वारा अनुमेय "नियमित भूमि होल्डर्स" के रूप में मानने के पात्र होंगे और भूमि मुआवजे के बराबर वैकल्पिक भूमि अथवा साइट भत्ता दिया जाएगा ।
6. भूमि अधिनिर्णय के बाजार मूल्य के साथ प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेक्शन 20 ए के अंतर्गत अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से जो भी पहले हो प्रारंभिक अवधि के लिए बाजार मूल्य पर 12 % वार्षिक की दर से राशि का अधिनिर्णय किया जाएगा ।

नोट बी

डीएफसीसीआईएल सरकार के साथ स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को भी किराये से लेगी जो प्रतिस्थापन लागत का आंकलन करने और सूचनाओं को सक्षम प्राधिकारी को प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं ।

(क) गांव अथवा शहरी क्षेत्र और आसपास में समान प्रकार की भूमि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र ओर शीर्षक विलेख का हस्तांतरण ओर हाल ही की बिक्री ।

(ख) जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यांकन सर्कल दर ।

(ग) भूमि के लिए कृषि उत्पादकता दर का मूल्यांकन-20 वर्ष उपज ।

सक्षम प्राधिकारी भूमि के लिए मुआवजे का निर्णय करने से पूर्व स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट सी

किसी भूमि प्लॉट के प्रभावित भाग के मामले में केवल, और मालिक की अपनी इच्छा से पूरे प्लॉट का अधिग्रहीत किया जाए, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बिना बची हुई भूमि के भाग के लिए एलएआरआर 2013 के सेक्शन 94 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त अधिनिर्णय कर सकते हैं ।

नोट डी

मूल्य हास के बिना उस तारीख को संबोधित बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स (बीएसआर)के अंतर्गत मकानों,भवनों और अन्य अचल संपत्तियों के लिए मुआवजा वर्तमान मूल्य बाजार के आधार पर निर्धारित किया जाएगा । संरचना मूल्य का मूल्यांकन सक्षम इंजीनियर की सेवाओं अथवा अन्य विशेषज्ञ से किराये पर ली जायेगी । बीएसआर पर विचार करते समय इस कार्य के लिए सरकार पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा हाल के बीएसआर के लिए क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी आवासीय और वाणिज्यिक अवसंरचनाओं के लिए और मालिक से परामर्श कर इस कार्य को किया जाएगा ।

नोट ई

परिभाषाएं:

परिवार:—व्यक्ति जिसमें उसकी पत्नी, छोटे बच्चे, छोटे भाई और बहनें जो उस पर आश्रित हैं, सम्मिलित हैं।

परन्तु विधवाओं, तलाकशुदा, और परिवार द्वारा परित्यक्त महिला को अलग परिवार के रूप में माना जाएगा।

व्याख्या— एक व्यस्क किसी भी लिंग का है और बिना पत्नी/पति अथवा बच्चे अथवा आश्रितों को इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से माना जाएगा।

प्रभावित परिवार में शामिल है—

- i. एक परिवार जिसकी भूमि और अन्य अचल संपत्ति अधिगृहीत की गई है।
- ii. एक परिवार जिसकी कोई भूमि नहीं है लेकिन इस परिवार के सदस्य अथवा कोई सदस्य कृषि श्रमिक, किराये के घर के रूप में किरायेदार, भोगाधिकार की होल्डिंग, बटाईदार (शेयर क्रोपर्स) अथवा आर्टीजन अथवा वह भूमि अधिग्रहण से तीन वर्ष पूर्व प्रभावित क्षेत्र में कार्य करने वाले, जिनकी भूमि अधिग्रहण के द्वारा आजीविका का साधन प्रभावित हुआ है।
- iii. भूमि अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त) जिन्होंने अपने वन अधिकार को गंवा दिया है।
- iv. वनों पर आश्रित भूमि के अधिग्रहण के तीन वर्ष पूर्व अथवा जल निकाय और और वन उपज, फिशर फोल्क और भूमि अधिग्रहण के कारण इस तरह की आजीविका से प्रभावित लोग शामिल हैं।
- v. अपनी योजनाओं और इस तरह देश के किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा भूमि का आबंटन किया गया है और इस तरह की भूमि अधिग्रहण के आधीन है।
- vi. भूमि अधिग्रहण से काफी समय पूर्व अथवा पिछले तीन वर्षों से वह परिवार शहरी क्षेत्रों में किसी भूमि पर रह रहा हो अथवा इस तरह भूमि के अधिग्रहण के द्वारा तीन वर्षों से पहले जिनका आजीविका का साधन प्रभावित हुआ है।

विस्थापित परिवार: एक परिवार, भूमि अधिग्रहण के कारण जिसे प्रभावित क्षेत्र से दूसरी जगह पुनर्वास क्षेत्र में बसाया गया है।

भूमि: इसमें भूमि से जुड़े लाभ और जमीन से संबंधित वस्तुएं और स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी कोई बात शामिल है।

भूमि मालिक: इसमें कोई व्यक्ति शामिल है:—

- i. संबंधित अधिकारी के रिकार्ड में उस व्यक्ति का नाम भूमि मालिक अथवा बिल्डिंग अथवा उसके भाग में दर्ज है। अथवा
- ii. कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता अधिनियम) 2006 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य नियम के अंतर्गत वन अधिकार दिए गए हैं अथवा
- iii. आबंटित भूमि सहित राज्य के किसी कानून के अंतर्गत भूमि पर पत्ता अधिकार स्वीकृत करने का पात्र है अथवा
- iv. कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा इस तरह घोषित किया गया है।

अतिक्रमणधारी: एक व्यक्ति/परिवार जिसने सार्वजनिक भूमि (निर्धारित तारीख से पूर्व) उसने अपनी भूमि से सटे अथवा अन्य अचल सम्पत्तियों और अतिरिक्त स्रोत से आश्रय/आजीविका के कारण उल्लंघन हुआ है।

बिना अधिकार के सार्वजनिक भूमि पर अधिकार करने वाला एक व्यक्ति/परिवार जो बिना अनुमति के सार्वजनिक भूमि पर बस जाता है अथवा कट-आफ-तारीख से पूर्व बिना प्राधिकार के सार्वजनिक भवन में कब्जा कर चुका है और आजीविका अथवा आश्रय आश्रित है और उसके पास आश्रम अथवा आजीविका कोई साधन नहीं हैं।

कट-ऑफ तारीख: राज्य और केन्द्रीय कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त उन शीर्षक दावों सहित प्रभावित परिवारों की पहचान की कट-ऑफ-तारीख और रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के 20 ए के अंतर्गत जारी भूमि अधिग्रहण अधिसूचना पहली तारीख से होगी जैसा कि बनाई जाने वाली पुनर्वास कार्ययोजना प्रस्तावित है।